अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क./अ.वि.वि.नि.लि /उ. मुख्य अभि./सी.एम.एण्ड वी./ फा. /प्रे. 3398 दिनांक : 4.12.2001

आदेश

कृषि व घरेलु विद्युत उपभोक्ताओं के बिलों के विवाद के निराकरण हेतु वर्तमान में गठित समझौता समितियों को अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उक्त समितियों में जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी समझौता समिति के सदस्य होगें। अतः विभिन्न स्तर की समझौता समितियों का स्वरूप अब निम्न प्रकार होगा :

(क) सहायक अभियन्ता स्तरीय समझौता समिति

(I) सम्बंधित सहायक अभियन्ता	– अध्यक्ष
(II) सहायक राजस्व अधिकारी/सम्बंधित उप खण्डीय लेखाकार	– सदस्य–सचिव
(III) अधिशाषी अभियन्ता द्वारा मनोनीत कनिष्ठ अभियन्ता	– सदस्य
(IV) कलेक्टर द्वारा सहायक अभियन्ता के क्षेत्र से मनोनीत तहसीलदार	– सदस्य

(ख) खण्ड स्तरीय समझौता समिति

(I) अधिशाषी अभियन्ता (ओ एण्ड एम/आर.ई.सी.)	– अध्यक्ष
(II) सम्बंधित सहायक अभियन्ता	– सदस्य सचिव
(III) सम्बंधित सहायक राजस्व	– सदस्य
(IV) निदेशक (इन्टर्नल–ऑडिट) द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि सहायक लेखाधिकारी के स्तर से कम न हो (ऑडिट से सम्बन्धित विवादों के लिये)	– सदस्य

अथवा

अधिशाषी अभियन्ता (एम एण्ड पी) अथवा उसका प्रतिनिधि सहायक अभियन्ता के स्तर से कम न हों (एम एण्ड पी से सम्बन्धित विवादो के लिये)	– सदस्य

अथवा

सहायक अभियन्ता (सतर्कता) या निदेशक (सतर्कता) द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि जो कि सहायक लेखाधिकारी स्तर से कम न हो।	– सदस्य

(V) कलेक्टर द्वारा अधिशाषी अभियन्ता के क्षेत्र से मनोनीत उपखण्ड अधिकारी — सदस्य

(ग) वृत्त स्तरीय समझौता समिति

(I) अधीक्षण अभियन्ता — अध्यक्ष
(II) सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता — सदस्य–सचिव
(III) वृत्त लेखाधिकारी — सदस्य
(IV) अधिशाषी अभियन्ता वाणिज्य — सदस्य
(V) अधीक्षण अभियन्ता (एम एण्ड पी) अथवा उसका प्रतिनिधि जो कि अधिशाषी अभियन्ता के स्तर से कम न हो (एम एण्ड पी से सम्बन्धित विवादों के लिये) — सदस्य

अथवा

निदेशक (सतर्कता) द्वारा मनोनीत अधिकारी जो कि सहायक अभियन्ता/सहायक लेखाधिकारी के स्तर से कम न हो (सतर्कता से सम्बन्धित विवादों के लिये) — सदस्य

(VI) कलेक्टर द्वारा अधीक्षण अभियन्ता के क्षेत्र से मनोनीत अतिरिक्त जिला कलेक्टर — सदस्य

1. उपरोक्त समझौता समितियां प्राप्त शिकायतों का निस्तारण 30 दिवस की अवधि में करेंगी।
2. यदि कोई उपभोक्ता समझौता समिति में नहीं जाना चाहे या समझौता समिति के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं हो तो वह सीधा ही जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जन अभाव अभियोग समिति में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इन शिकायतों का निस्तारण भी 30 दिवस की अवधि में किया जायेगा।
3. समझौता समितियों में उपभोक्ता द्वारा विवाद को दर्ज कराने की निर्धारित प्रकिया के अनुसार विवादित राशि की 50 प्रतिशत राशि प्रारम्भ में जमा करानी होगी, तत्पश्चात् ही उसके द्वारा दर्ज शिकायत पर सुनवाई की जा सकेगी । यहि प्रक्रिया जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जन अभाव अभियोग समिति के लिये भी लागू होगी तथा उपभोक्ता को निगम मे 50 प्रतिशत राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. यदि समझौता समितियों या जिला जन अभाव अभियोग समितियों द्वारा उपभोक्ता के बिल को गलत पाया गया तो निगम विवादित जमा राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज देगा यह राशि निगम के सम्बन्धित अधिकारी अथवा कर्मचारी से वसूल की जायेगी और अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।

सभी सम्बन्धित अधिकारियों को यह निर्देश दिये जाते है, कि कृषि एवं घरेलु विद्युत उपभोक्ताओं के बिल सम्बन्धी विवादों के निस्तारण के लिये उपरोक्त निर्णयों की पालना सुनिश्चित करें।

(के.एस. राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

1. जिलाधीश, अजमेर / भीलवाड़ा / नागौर / झुंझुनु / उदयपुर / बांसवाडा / चित्तौडगढ / राजसमन्द / सीकर / डूंगरपुर।
2. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (परि.एवं स.)अविविनिलि, अजमेर / उदयपुर / झुंझुनू।
3. वित्तीय सलाहकार, अविविनिलि, अजमेर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, अविविनिलि, अजमेर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (प.वस. / एम एण्ड पी) अविविनिलि, ———।
6. उप–सचिव (प्र.व का–प्रथम / द्वितीय) अविविनिलि, अजमेर।
7. विशेषाधिकारी, अविविनिलि, जयपुर।
8. कम्पनी सचिव, अविविनिलि, अजमेर।
9. वरिष्ठ / लेखाधिकारी (   ) अविविनिलि, अजमेर।
10. अधिशाषी अभियन्ता (   ) अविविनिलि,———।
11. सहायक अभियन्ता (   ) अविविनिलि,———।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, अविविनिलि, अजमेर।
13. निजी सचिव —सी.एम.डी., अविविनिलि, अजमेर।

(के.सी.मोदी) 4.12.01

उप मुख्य अभियन्ता (सी.एम एण्ड बी.)

Circular/25